


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042026-271551
CG-DL-E-08042026-271551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1630]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 1630]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1695(अ).—राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) की धारा 18 की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार (विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद) एतद्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम अधिनियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित अधिनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ — (1) इन अधिनियमों को राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (संशोधन) प्रथम अधिनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये अधिनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम अधिनियम, 2016 में, अधिनियम 45 के पश्चात निम्नलिखित अधिनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“46. भवन एवं निर्माण समिति :— (1) भवन एवं निर्माण समिति (जिसे इस अधिनियम में आगे 'समिति' कहा गया है), जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त कम से कम पाँच और अधिकतम सात सदस्य होंगे, अधिनियम की धारा 18 के अर्थों में एक प्राधिकरण भी होगी।

(2) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होंगे;

(ख) विश्वविद्यालय अथवा किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) या केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित संगठन के सिविल अभियांत्रिकी के एक प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(ग) विश्वविद्यालय अथवा किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) या केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित संगठन के विद्युत अभियांत्रिकी के एक प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(घ) विश्वविद्यालय अथवा किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) या स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPAs) या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) या केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी प्रतिष्ठित संगठन के वास्तुकला एवं नियोजन के एक प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(ङ) वर्तमान मुख्य अभियंता (सिविल) या उनके नामित प्रतिनिधि अथवा भूतपूर्व मुख्य अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) या किसी केंद्रीय संगठन/संस्थान से, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(च) वर्तमान मुख्य अभियंता (विद्युत) या उनके नामित प्रतिनिधि अथवा भूतपूर्व मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य लोक निर्माण विभाग या उत्तर प्रदेश के किसी राज्य संगठन से, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(छ) वर्तमान अधीक्षण अभियंता (विद्युत) या उनके नामित प्रतिनिधि अथवा भूतपूर्व अधीक्षण अभियंता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा — सदस्य;

(3) कुलसचिव समिति के पदेन सचिव होंगे।

(4) समिति निम्नलिखित कार्य करेगी और उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) यह, कार्यकारी परिषद के निर्देशन में, सभी प्रमुख पूंजीगत कार्यों के निर्माण हेतु उत्तरदायी होगी, बशर्ते कि ऐसे कार्यों के लिए कार्यकारी परिषद से आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(ख) यह, विश्वविद्यालय के उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराए गए अनुदान की सीमा के भीतर, लघु कार्यों तथा रख-रखाव एवं मरम्मत से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति रखेगी।

(ग) यह भवनों एवं अन्य पूंजीगत कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मत, रख-रखाव आदि की लागत के अनुमान तैयार करवाएगी।

(घ) यह, आवश्यकतानुसार, तकनीकी परीक्षण (जांच) कराने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ङ) यह उपयुक्त ठेकेदारों के पंजीकरण (एनलिस्टमेंट) तथा निविदाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी और आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति रखेगी।

(च) यह निविदा में आच्छादित न किए गए दरों का निर्धारण करने तथा ठेकेदारों के साथ दावों एवं विवादों के निपटान की शक्ति रखेगी।

(5) समिति, विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण तथा भूमि विकास के संबंध में, कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी संपादित करेगी।

- (6) आकस्मिक परिस्थितियों में समिति के अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों की सूचना वे समिति तथा कार्यकारी परिषद को समिति और कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में देंगे।
- (7) समिति आवश्यकतानुसार बैठक करेगी, परंतु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य करेगी।
- (8) समिति की बैठक के लिए तीन सदस्य कोरम का गठन करेंगे।
- (9) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- (10) इन अधिनियमों में बैठक की सूचना, कार्यसूची में विषयों को सम्मिलित करने तथा कार्यवृत्त की पुष्टि से संबंधित जो प्रावधान कार्यकारी परिषद की बैठकों पर लागू होते हैं, वे यथासंभव समिति की बैठकों पर भी लागू होंगे।
- (11) समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति कार्यकारी परिषद को प्रेषित की जाएगी।”

[फा. सं. एवी -29013/113/2025- एसडीआईटी – एमओसीए]

मधु सुदन शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र : असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 683(ई), दिनांक 7 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात अधिसूचना संख्या दिनांक द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.O. 1695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 27 read with sub-section (7) of Section 18 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013), the Central Government, (Executive Council of the University), hereby frames the following statutes to amend the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016, namely :-

1. Short title and commencement – (1) These statutes may be called the Rajiv Gandhi National Aviation University (Amendment) First Statutes, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016, after Statute 45, the following statute shall be inserted, namely :-

“46. Building and Works Committee :- (1) The Building and Works Committee, (hereafter in this statute referred to as ‘Committee’), consisting of not less than five and not more than seven members as may be appointed by the Executive Council shall also be an authority within the meaning of section 18 of the Act.

2. The Committee shall consist of the following Members, namely:-

- the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson, *ex-officio*;
- a Professor of Civil Engineering in the University or any IITs or NITs or Central University or reputed Organisation, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;
- a Professor of Electrical Engineering in the University or any IITs or NITs or Central University or reputed Organisation, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;
- a Professor of Architecture and Planning in the University or any IITs or SPAs or NITs or Central University or reputed Organisation, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;
- any present Chief Engineer (Civil) or his nominee or former Chief Engineer from Central Public Works Department or Airports Authority of India or Any Central Organisation or Institute, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;

- f. any present Chief Engineer (Electrical) or his nominee or former Chief Engineer from Uttar Pradesh State Public Works Department or Any State Organisation of Uttar Pradesh, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;
- g. any present Superintending Engineer (Electrical) or his nominee or former Superintending Engineer from Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited or Uttar Pradesh Power Corporation Limited, to be nominated by the Vice Chancellor, Member;
3. The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Committee.
4. The Committee shall perform the following functions and have the following powers, namely :-
 - (a) It shall be responsible under the direction of the Executive Council for construction of all major capital works after securing from the Executive Council the necessary administrative approval and expenditure sanction.
 - (b) It shall have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repairs, within the grant placed at the disposal of the University for the purpose.
 - (c) It shall cause to be prepared estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like.
 - (d) It shall be responsible for making technical scrutiny as may be considered necessary by it.
 - (e) It shall be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works, where necessary.
 - (f) It shall have the power to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors.
5. The Committee shall perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the University as the Executive Council may entrust to it from time to time.
6. In emergent cases the Chairperson of the Committee may exercise the powers of the Committee. Such cases shall be reported by him to the Committee and the Executive Council at the next meeting of the Committee and of the Executive Council.
7. The Committee shall meet as often necessary but at least twice a year.
8. Three members shall form a quorum for a meeting of the Committee.
9. The members of the Committee other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years.
10. The provisions in these statutes regarding notices of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Executive Council, shall so far as may be, be followed in connection with meeting of the Committee.
11. A copy of the minutes of every meeting of the Committee shall be sent to the Executive Council.”.

[F. No. AV-29013/113/2025-SDIT-MOCA]

MADHU SUDANA SANKAR, Jt. Secy.

Note : The principal Statutes were published in the Gazette of India : Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O.683(E) dated the 7th March, 2016 and lastly amended vide notification No. dated